12.40 hrs.

Title: Regarding question of privilege raised by Shri Lal Muni Chaubey (MP).

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर) : अध्यक्ष जी, मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया है।… (व्यवधान)

MR. SPEAKER: Friends, please listen to me. Today is the last day of the first half of the Budget Session. If the hon. Members want to raise their issues -- I have the desire to take up maximum number of issues during 'Zero Hour' -- please cooperate with me. Let me call the names of the hon. Members one by one. I do not want to do injustice to anybody, so please cooperate with me. Otherwise, the whole time, nearly 15 to 20 minutes, will be wasted on this, and you will not be able to raise your issues.

I would like to call Shri Chaubey first. I will explain the reason for taking his name first: it is because his notice pertains to the privilege issue. Shri Chaubey, would you like to say something?

...(Interruptions)

अध्यक्ष महोदय : आप सब लोग खड़े क्यों हो गये हैं? चौबे जी का प्रश्न है, उन्हें बोलने दीजिए।

श्री लाल मुनी चौबे (बक्सर): अध्यक्ष जी, मैंने 27 फरवरी को विशाधिकार हनन का प्रस्ताव दिया था। यहां सदन में बताया गया कि सूचना दी गयी है, अभी उत्तर नहीं आया है। दुबारा देने पर भी सूचना नहीं आई है। मैं चाहता हूं कि जो ब्रीच ऑफ प्रीवलेज हुआ है वह पुलिस के चलते हुआ है। पुलिस के रवैये को सारा सदन जानता है। यह केवल मेरा व्यक्तिगत सवाल नहीं है। इसलिए ऐसी कोई कार्रवाई की जाए, जहां कोई सुनने वाला न हो और सदन मांगे कि क्या मामला हुआ है लिखकर दो। इस पर देरी की जाए तो इससे साफ लगता है कि उनकी मंशा क्या है? सदन के मांगने पर भी वे कोई उत्तर नहीं देते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि उस अधिकारी को कॉल-फोर-नोटिस किया जाए जिसने मेरे साथ ऐसा किया है। मैंने केवल वे

सवाल उठाए हैं जो ब्रीच ऑफ प्रीवलेज से बनते हैं। लेकिन जो उन्होंने अपशब्द कहे, जिस तरह से प्रताड़ित और अपमानित किया, मुझे सदन में कहने में भी लज्जा आ रही है।

श्री मनोज सिन्हा (गाजीपुर): सर, यह बड़ा गंभीर मामला है। हम आपसे नम्रतापूर्वक कहना चाहते हैं कि इसमें शीघ्र कार्रवाई की जाए।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): सर, एक सांसद के साथ इतना दुर्व्यवहार किया गया है, इस विाय में दोगि पर कार्रवाई होनी चाहिए।

श्री शिवाजी माने (हिंगोली) : अध्यक्ष महोदय, ऐसे में हमारी कौन बात सुनेगा और हम कहां जाएं?

अध्यक्ष महोदयः मेरे पास आएं। चौबे जी ने मुझे इस बारे में बताया था कि उनका अपमान हुआ। यह एक गम्भीर घटना है। मैंने उस दिन जो स्टेटमैंट सदन में दिया था, मैं वह पढ़ कर सुनाना चाहता हूं।

It is a very small statement. Shri Lal Muni Chaubey had raised the matter on the 10th of March, 2003. I had observed that if a factual note is not received in a week's time, I would consider to refer the matter to the Committee of Privileges. A week's time will expire on 17th March, 2003. If the factual note is received by that time, I will take a decision in the matter on merits. If the factual note is not received by that time, I will report the matter to the Committee of Privileges.

यह बात आने के बाद मैंने 17 तारीख तक का समय दिया। मैं उस दिन तक रुकूंगा। अगर तब तक कुछ नहीं होगा तो मैं यह मैटर प्रिवलेज कमेटी को भेज दूंगा। प्रि वलेज कमेटी इस बारे में निर्णय ले सकती है।

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य) : अध्यक्ष महोदय, श्री सुरेश जाघव की एक शिकायत है। …(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः मेरी उनसे बात हुई थी। मैं उनको बोलने का मौका देने वाला हं।

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज) : अध्यक्ष महोदय, एक मामला श्रीमती रेनू कुमारी का है। आप उसे भी देख लीजिए क्योंकि वह एक गम्भीर मामला है।